FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम अराई (अजमेर)

न्यायालय अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

- कैलाश चौधरी पुत्र हरकरण चौधरी, जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राज. । —प्रार्थी

बनाम

- गोपाल पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। —अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ~~111,128~~ 131,136 भू.राज.अधि. 1956

दर्ज क्रमांक 77 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / ....

वकील अप्रार्थीगण..................

वकील प्रार्थी :— योगेश शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13/7/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 20/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
20/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणों के सम्मन अप्राप्त। वास्ते तामील इत्तला पत्रावली दिनांक 18/10/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / बहस......हेतु सम्मन पाबंद/वास्ते बहस....पत्रावली दिनांक 21/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/4/25 को पेश हो।

5/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..................
दिनांक 9/5/25 को पेश हो।

9/5/25 पत्रावली पेश हुई आज बार किशनगढ़
.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/6/25 को पेश हो।

20/6/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.।
तहसील रिपोर्ट नहीं
पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान प्रार्थी/प्रतिवादीगण उपस्थित। बावजूद तामील भी अनुपस्थित रहे अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसील से प्राप्त नक्शा जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। मिसल पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाय। पत्रावली फसल सुधार होकर दाखिल दफ्तर हो। WB

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 56/2023

अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

कैलाश चौधरी पुत्र श्री हरकरण चौधरी, जाति जाट उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राज

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र रंगलाल, जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राज.
2 नन्दा पुत्र रंगलाल, जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राज
3. प्रभू पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम आकोडियां तहसील अराई जिला अजमेर राज
4. रामराज पुत्र रंगलाल, जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील असंई, जिला अजमेर, राज.
5. गोपी पुत्र गणेश जाति जाट निवासी गाम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज
6. तेजू पुत्र हरकरण जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
7. रेखा पत्नि कैलाश चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर
8. रामनाथ पुत्र भोमा जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
9. रिद्धकरण पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी ग्गाम आकोडिया, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
10. हुक्मा पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
11. श्योराज पुत्र हरकरण जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अरांई, जिला अजमेर, राज,
13. शाखा प्रबन्धक महोदय बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

निर्णय दिनांक 22/8/25

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की कृषि वाके ग्राम आकोडिया पटवार क्षेत्र आकोडिया, भू.अ.नि.क्षे. आकोडिया, तहसील अरांई जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित है जिसके खाता संख्या 118/96 खसरा नम्बर 214,233,251,256 कुल खसरा 4 कुल रकबा 19.6102 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/16 है । खाता संख्या 117/95 खसरा नं0 2023/359 ,356,357,358,359,360 कुल किता 06 कुल रकबा 10.6708 है0 है । यह कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की सहखातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या लगायत 11 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमे प्रार्थी का नाम कैलाश चौधरी के बजाय सांवरा दर्ज कर दिया गया था प्रार्थी का नाम कैलाश चौधरी के स्थान पर सांवरा नाम की त्रुटि आज तक चली आ रही है। प्रार्थी का सही नाम कैलाश चौधरी है, किन्तु त्रुटिवश सहवन से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज होने में प्रार्थी का नाम अंकन होते समय सांवरा लिख दिया गया। प्रार्थी के पिता हरकरण के देहावसन उपरान्त विरासत का नामान्तरण संख्या 214 दिनांक 20.05.1993 को तस्दीक कर प्रार्थी का नाम सांवरा नाबालिक किया गया था, उस समय प्रार्थी मात्र 5 वर्ष का था तथा स्कूल भी नहीं जाता था तथा प्रार्थी को प्रेमवश घर पर सांवरा नाम से जाना जाता था जिसके कारण उक्त नामान्तरण में सांवरा नाबालिक नाम दर्ज कर दिया गया उसके उपरान्त प्रार्थी कि माता द्वारा प्रार्थी को अध्ययन हेतु स्कूल में दाखिला कराने

पर प्रार्थी का नाम स्कूल में कैलाश चौधरी पुत्र हरकरण चौधरी दर्ज करवाया गया तब से प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में कैलाश चौधरी पुत्र हरकरण नाम दर्ज है। प्रार्थी के नाम जारी आधार कार्ड संख्या 4293 9620 5204, पहचान पत्र संख्या जे/0986661 कार्यालय ग्राम पंचायत कालानाडा द्वारा दिनांक 27/05/2024 को जारी प्रमाण पत्र व जनआधार कार्ड संख्या 5008274840 ई-श्रम कार्ड संख्या 7109 3537 6067 में तथा अन्य में प्रार्थी का नाम कैलाश चौधरी, अंकित है तथा खसरा संख्या 214 233 251 256 2023/359 356 357 358 359 360 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से सांवरा दर्ज है, तथा सांवरा पुत्र हरकरण एवं कैलाश चौधरी पुत्र हरकरण दोनो नाम प्रार्थी के ही है. परन्तु सम्पूर्ण दस्तावेज कैलाश चौधरी पुत्र हरकरण के नाम से है. इस कारण प्रार्थी को उक्त नाम सांवरा पुत्र हरकरण को शुद्ध करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी उक्त विरासत नामान्तरण से दर्ज गलत नाम सांवरा पुत्र हरकरण के त्रुटि की जानकारी नही थी। प्रार्थी ने जब जमाबन्दी की नकल ली तब प्रार्थी की जानकारी में आया की राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश उस का नाम कैलाश चौधरी के स्थान पर सांवरा दर्ज हो रखा है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत नाम की प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है.। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी को काफी परेशानियां का सामना करना पड रहा है।वाद में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम दर्ज प्रविष्टि "सांवरा"के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम से प्रविष्टि "कैलाश चौधरी" अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है. इसलिये प्रार्थी के लिये यह नाम दुरूस्ती की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की नकल प्रार्थी द्वारा लेने पर गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी को होने पर उत्पन्न हुआ जो गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वाद कारण सतत् रूप से जारी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को उपरोक्त कृषि भूमि में सहखातेदार होने से तथा अप्रार्थी संख्या 12 को लैण्ड होल्डर होने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 13 के यहा कृषि भूमि रहन होने के कारण मुकदमे में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम आकोडिया की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम "सांवरा पुत्र हरकरण के स्थान पर कैलाश चौधरी पुत्र हरकरण चौधरी कि शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रकरण को दिनांक 18.7.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगणो सम्मन नोटिस जारी किए गए । दिनांक 19.2.2025 को अप्रार्थीगणो के तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए ।दिनांक 11.7.2025 को पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 बावजूद तामिली के अनुपस्थित होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई पेरोकार सरकार तहसीदार अराई का जवाब व मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पेरोकार सरकार के जवाबअनुसार ग्राम आकोडिया की वर्तमान सेरी जमाबन्दी के खाता स. 118 खसरा स. 214, 233.251, 256 कुल किता 04 कुल रकबा 19.6102 हैक्ट में स्योराज पुत्र हरकरण हिस्सा 1/16 गोपाल नन्दा प्रभू रामराज पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/8 ब. हि. ब. गोपी पुत्र गणेश हिस्सा 1/4 तेजू पुत्र हरकरण हिस्सा 3/32 रेखा पनि कैलाश चौधरी हिस्सा 1/32 रामनाथ पुत्र भोमा हिस्सा 1/3 हरदीन हंसराज पुत्र रिध्दकरण हिस्सा 1/12 ब. हि.ब. राहिन राजस्थान बडौदा क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा आकोडिया श्योजीराम चौधरी पुत्र रिध्दकरण हिस्सा 1/24 सांवरा पुत्र हरकरण हिस्सा 1/16 सा. देह गोपाल लाल चौधरी पुत्र हुक्मा हिस्सा 1/8 हाल निवासी ए-20 अशोक विहार मान्यावास जयपुर जाति जाट खातेदार दर्ज है। तथा खाता स. 117 खसरा स. 2023/359, 356, 357, 358, 359.360 कुल किता 06 कुल रकबा 10.6708 हैक्ट, में स्योराज पुत्र हरकरण हिस्सा 5/16 गोपी पुत्र गणेश हिस्सा 1/4 तेजू पुत्र हरकरण हिस्सा 3/32 रेखा पनि कैलाश चौधरी हिस्सा 1/32 हरदीन हंसराज पुत्र रिध्दकरण हिस्सा 1/12 ब. हि.व. राहिन राजस्थान बडौदा क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा आकोडिया श्योजीराम चौधरी पुत्र रिध्दकरण हिस्सा 1/24 सांवरा पुत्र हरकरण हिस्सा 1/16 सा. देह गोपाल लाल चौधरी पुत्र हुक्मा हिस्सा 1/8 हाल निवासी ए-20 अशोक विहार मान्यावास जयपुर जाति जाट खातेदार दर्ज है।

पेरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट अनुसार दस्तावेज मय नक्शा प्रति रिपोर्ट तहसीलदार अराई अनुसार शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की है ।. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जाते है कि शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जायेगी। राजस्व रिकार्ड में वाद अधीन वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम दर्ज प्रविष्टि "सांवरा"के स्थान पर प्रार्थी

का सही नाम से प्रविष्टि "कैलाश चौधरी" अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि इन्द्राज की दुरूस्ती करने पर वर्तमान जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

WO
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

1955

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है.